न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2020

उनवान :

1. महेन्द्र पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।

:— वादी

व ना म

1. निहालसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
2. सरोज पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
3. स्वरूपसिंह पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**
वकील श्री रोहताश शर्मा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 21.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं 83/85 के खसरा सं0 135 की 12.962है0, खसरा सं0 167 की 2.580है0, खसरा सं0 176/2 की 13.544है0, खसरा सं0 187/2 की 9.320है0, कुल 38.406है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम से 9.601है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा रामलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामलाल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होंते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उप[illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। [illegible] राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। [illegible] पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:23 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 महेन्द्र पुत्र निहालसिंह के बयान करवाये गये। [illegible]जी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही बुढेर खाता सं0 83/85 संवत 2073—76 प्रदर्श 1, पासबुक प्रति प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलि जमाबंदी संवत 2045 रोही बुढेर प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा रामलाल से विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में निहालसिंह के वारिसान में 2 पुत्र महेन्द्र व स्वरूपसिंह व 1 पुत्री सरोज व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताविक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर के खाता सं 83/85 के खसरा सं0 135 की 12.962है0, खसरा सं0 167 की 2.580है0, खसरा सं0 176/2 की 13.544है0, खसरा सं0 187/2 की 9.320है0, कुल 38.406है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम से 9.601है0 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह व प्रतिवादी सं0 3 स्वरूपसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] 2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:23 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
[illegible]यक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2020

1. महेन्द्र पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. निहालसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
2. सरोज पुत्री निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।
3. स्वरूपसिंह पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी बुढेर त0 भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही बुढेर के खाता सं 83/85 के खसरा सं0 135 की 12.962है0, खसरा सं0 167 की 2.580है0, खसरा सं0 176/2 की 13.544है0, खसरा सं0 187/2 की 9.320है0, कुल 38.406है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 निहालसिंह के नाम से 9.601है0 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादीया सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी महेन्द्र व प्रतिवादी सं0 1 निहालसिंह व प्रतिवादी सं0 3 स्वरूपसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:23 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner